राजस्व मण्डल

समक्ष न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग~~, भोपाल।

निगरानी प्रकरण क्र. /2016
R 343-PBR-17

यशपाल सिंह,
पुत्र श्री मोहन सिंह,
आयु लगभग 50 वर्ष,
जाति- पुर्विया,
निवासी- ग्राम हरसिली,
तहसील बाड़ी,
जिला रायसेन, म.प्र. .... निगरानीकर्ता/आवेदक

विरुद्ध

अनुविभागीय अधिकारी,
राजस्व बरेली, जिला रायसेन, म.प्र. .... उत्तरवादीगण/रेस्पॉंडेंटगण

अभिभावक श्री Chinmay द्वारा आज दिनांक 3.1.17 को पेश।
अधीक्षक

Noted 25/1/2017
Chinmay Bajpai Adv
24/1/17

निगरानी

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व बरेली जिला रायसेन द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 52 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 वास्ते राजस्व प्रकरण क्र. 01/अ-13/15-16 में पारित आदेश दिनांक 06-12-2016 के क्रियावन पर माननीय अधिनस्त न्यायालय के धारा 44(1) म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 द्वारा अपीलीय प्रकरण के निराकरण तक स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु, में पारित आदेश दिनांक 28-12-2016, जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को दिनांक 31-12-2016 को प्राप्त हुई, से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

तथ्य

1. यह कि कृषक हनुमत सिंह द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन के समक्ष राजस्व प्रकरण क्र. 01/अ-13/15-16 इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि कृषक हनुमत सिंह को अपीलार्थी की स्वत्त स्वामित्व व् आधिपत्य की भूमि में से मार्ग बाधा हटाकर आने-जाने का रास्ता खुलवाया ज़ावे|
2. यह कि उक्त आवेदन पर माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 06-12-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 343–पीबीआर/2017 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.02.17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक को कृषि कार्य हेतु उसकी भूमि पर जाने का रास्ता अवरूद्ध नहीं किया जा सकता है, स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	